

भारत में बलात्संग संबंधी मामलों में वृद्धि

प्रलिस के लयि:

[भारतीय न्याय संहति \(BNS\), 2023](#) , [वैवाहकि बलात्संग](#) , [लैंगकि अपराधों से बालकों का संरक्षण अधनियम, 2012 \(POCSO\)](#) , [जीरो FIR](#) , [टू फगिर टेसू](#) , [राषूरीय वधकि सेवा प्राधकिरण](#) , [राषूरीय अपराध रकिरड बयूरो](#)

मेन्स के लयि:

बलात्संग संबंधी मामले, संबंधति चुनौतयिँ और आगे की राह, भारत में महिला सुरक्षा तथा वधकि सुधार, महिलाओं से संबंधति मुद्दे, सामाजकि मानदंडों का प्रभाव

सूरो: IE

चरूा में कयों?

भारत में [बलात्संग](#) संबंधी मामलों में वृद्धि ने यून हसिा के मामलों को संबोधति करने के लयि व्यापक वधकि सुधारों और सामाजकि व्यवहार में लयि मृत्युदंड सहति कठोर दंड के प्रावधान एवं महिलाओं के लयि सुरक्षति वातावरण हेतु तत्काल परविरूतन की मांग को पुनः जागृत कयिा है ।

- इन घटनाओं ने बलात्संग के काररवाई की मांग को बढ़ावा दयिा है ।

भारत में बलात्संग के संबंध में वधकि ढाँचा कयिा है?

- बलात्संग कयिा है: [भारतीय न्याय संहति \(BNS\), 2023](#) के अनुसार, बलात्संग तब होता है जब कोई पुरुष कसिी महिला की सहमति के बिना, उसकी इच्छा के वरिद्ध, दबावपूर्वक, धोखे से या जब महिला की आयु 18 वर्ष से कम हो या सहमति देने में असमर्थ हो, उसके साथ यून संबंध बनाता है ।
- भारत में बलात्संग के प्रकार:
 - गंभीर बलात्संग: पीड़ति पर अधकिारति या वशिवास की स्थतिरिखने वाले कसिी व्यक्ती (जैसे- पुलसि अधकिारी, अस्पताल कर्मचारी या अभभावक) द्वारा कयिा गया बलात्संग ।
 - बलात्संग और हत्या: जब बलात्संग के कारण पीड़ति की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है ।
 - सामूहकि बलात्संग: जब एक महिला के साथ कई व्यक्तयिँ द्वारा एक साथ बलात्संग कयिा जाता है ।
 - वैवाहकि बलात्संग: ['वैवाहकि बलात्संग'](#) का तात्पर्य पति और पत्नी के मध्य कसिी भी पक्ष की सहमति के बिना जबरन यून संबंध बनाने से है ।
- भारत में बलात्संग से संबंधति वधियिँ:
 - भारतीय न्याय संहति (BNS), 2023: नव अधनियमति BNS, 2023, जो औपनविशकि युग की [भारतीय दंड संहति \(आईपीसी\), 1860](#) को स्थनानूतरति करती है, यून अपराधों के उपचार में महत्त्वपूर्ण परविरूतन प्रसूतुत करती है ।
 - BNS बलात्संग के गंभीर रूपों को परभाषति करती है, जसिमें [सामूहकि बलात्संग](#) भी शामिल है । इसमें 18 वर्ष की आयु से कम उमर की नाबालगिँ के साथ सामूहकि बलात्संग के लयि कठोर दंड का प्रावधान है, जसिमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी शामिल है ।
 - दंड वधि (संशोधन) अधनियम, 2013: वर्ष 2012 में दलिली में हुए [नरिभया बलात्संग](#) मामले के कारण दंड वधि (संशोधन) अधनियम 2013 के माध्यम से संशोधन कयिा गया, जसिके तहत बलात्संग के लयि न्यूनतम दंड सात वर्ष का कारावास से बढ़ाकर दस वर्ष कर दयिा गया ।
 - जनि मामलों में पीड़ति की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है, उनमें न्यूनतम दंड को बढ़ाकर बीस वर्ष का कारावास कर दयिा गया ।
 - इसके अलावा, [दंड वधि \(संशोधन\) अधनियम, 2018](#) के माध्यम से भी 12 वर्ष से कम उमर की लड़की के साथ बलात्संग के लयि मृत्युदंड सहति और भी कठोर दंडात्मक प्रावधान कयिे गए थे ।
 - [लैंगकि अपराधों से बालकों का संरक्षण अधनियम, 2012 \(POCSO\)](#) : यह वधि बच्चों को यून हसिा, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से

संरक्षण करती है।

■ भारत में बलात्संग पीड़ितों के अधिकार:

- **ज़ीरो FIR का अधिकार:** पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में **ज़ीरो FIR** दर्ज करा सकते हैं, चाहे उसका कर्षत्राधिकार कुछ भी हो। FIR को अन्वेषण हेतु उचित स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- **नशिल्क चकितिसा उपचार:** दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 (जिसमें अब **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023** के रूप में प्रस्तावित किया गया है) की धारा 357 C के तहत, सभी अस्पतालों को बलात्संग पीड़ितों को नशिल्क चकितिसा उपचार प्रदान करना होगा।
- **टू फगिर टेस्ट की समाप्ति:** किसी भी डॉक्टर को चकितिसा परीक्षण करते समय **टू फगिर टेस्ट** करने का अधिकार नहीं होगा, जिससे पीड़ित की गरिमा का उल्लंघन माना जाता है।
- **उत्पीड़न-मुक्त समयबद्ध जाँच:** बयान महिला पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा पीड़ित के लिये सुविधाजनक समय और स्थान पर दर्ज किया जाएगा।
 - बयान पीड़ित के माता-पिता या अभिभावक की मौजूदगी में दर्ज किया जाएगा। अगर पीड़ित गूंगा या मानसिक रूप से विकलांग है, तो संकेत को समझने के लिये एक विश्लेषक की मौजूदगी आवश्यक होगी।
- **मुआवज़े का अधिकार:** CrPC की धारा 357A **राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण** द्वारा निर्धारित मुआवज़ा योजना के अंतर्गत पीड़ितों के लिये मुआवज़े का प्रावधान करती है।
- **मुकदमें की कार्रवाई के दौरान गरिमा और संरक्षण:** मुकदमें कैमरे के समक्ष चलाए जाने चाहिये, जिसमें पीड़ित के यौन इतिहास के बारे में कोई अनुचित प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिये और यदि संभव हो तो महिला न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिये।

भारत में बलात्संग के मामलों में वृद्धियाँ हो रही हैं?

- **बलात्संग का सामान्यीकरण:** यह एक समाजशास्त्रीय वातावरण को संदर्भित करता है जहाँ यौन हिंसा को सामान्य माना जाता है और उसे माफ कर दिया जाता है, जिसके कारण बलात्संग के मामलों में वृद्धि होती है। यह कई तरह के व्यवहार एवं दृष्टिकोण पर आधारित है।
 - **बलात्संग के संबंध में अनुचित दृष्टिकोण:** यौन हिंसा के बारे में अनुचित टिप्पणियों से ऐसे अपराधों की गंभीरता को कमतर आँका जाता है।
 - **लजिभेदी व्यवहार:** ऐसे कार्य और दृष्टिकोण जो महिलाओं को अपमानित करते हैं, अक्सर नकारात्मक रूढ़िवादिता को बनाए रखते हैं।
 - **पीड़ित को दोषी ठहराना:** अपराधियों पर ध्यान देने के बजाय, पीड़ित को ही हिंसा के लिये ज़िम्मेदार ठहराने से इसकी जटिलता बढ़ती है।
 - सांस्कृतिक दृष्टिकोण में पीड़ितों को उनके पहनावे के लिये दोषी ठहराया जाता है, भारत में संरक्षण किये गए 68% न्यायाधीशों ने यही दृष्टिकोण अपनाया है। यह नकारात्मक दृष्टिकोण पीड़ितों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति को मज़बूत करता है।
- पीड़ितों को अक्सर शर्मिंदगी किये जाता है तथा उन पर आरोप लगाया जाता है, जिससे उनका मानसिक आघात और बढ़ जाता है एवं वे अपराध की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित हो जाते हैं। रिपोर्ट न करने की यह कमी बलात्संग की घटनाओं में वृद्धि में योगदान देती है।
 - यह प्रवृत्ति न केवल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करती है बल्कि उनके अवसरों और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी सीमित करती है।
- **शराब की लत:** शराब का सेवन बलात्संग की बढ़ती दरों में एक महत्वपूर्ण कारक है। यह नरिण्य लेने की क्षमता को कम करता है और अधिक आक्रामक तथा हिंसक व्यवहार को जन्म दे सकता है।
- **मीडिया में महिला वरिधी चर्च:** भारत में फलित और शो अक्सर महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह चर्चा नकारात्मक रूढ़िवादिता तथा व्यवहार को मज़बूत करता है जो बलात्संग प्रवृत्ति में योगदान देता है।
- **लजि अनुपात असंतुलन:** जनसंख्या में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की अधिक संख्या बलात्संग की दर में वृद्धि से संबंधित है।
 - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लजि अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 940 महिलाएँ थी। यह लजिक असंतुलन ऐसा जनसांख्यिकीय वातावरण बनाता है जहाँ यौन हिंसा की घटनाएँ अधिक होती हैं।
- **अपर्याप्त महिला पुलिस प्रतिनिधित्व:** वर्ष 2022 में भारत के पुलिस बल में 11.75% महिला अधिकारी थीं। इस कम प्रतिशत का तात्पर्य है कि यौन उत्पीड़न की शिकायत महिलाओं को अपने मामलों की रिपोर्ट महिला अधिकारियों को करने में संघर्ष करना पड़ सकता है, जिनमें अक्सर ऐसे संवेदनशील मुद्दों को संभालने के लिये प्राथमिकता दी जाती है।
- **घरेलू दुर्व्यवहार की स्वीकार्यता:** घरेलू हिंसा का यह सामान्यीकरण यौन हिंसा के प्रति व्यापक सहिष्णुता तक विस्तारित होने के साथ नकारात्मक व्यवहार पैटर्न को मज़बूत करता है और पीड़ितों द्वारा सहायता मांगने या पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने की संभावना को कम करता है।
- **अनैतिक व्यवहार के लिये पीड़ितों को दोषी ठहराना:** "अनैतिक" माने जाने वाले व्यवहार (जैसे- शराब पीना या देर रात तक बाहर घूमना) में लजित महिलाओं को उनके साथ होने वाले हमलों के लिये अनुचित रूप से दोषी ठहराया जाता है, जो व्यापक सामाजिक मुद्दों को दर्शाता है।
 - यह दोष उस प्रवृत्ति को बनाए रखता है जो महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहती है, जिससे बलात्संग संबंधी अपराधों में वृद्धि होती है।
 - कुछ व्यक्तियों का मानना है कि महिलाएँ अपने व्यवहार में बदलाव लाकर यौन उत्पीड़न और हिंसा से बच सकती हैं।
- **मौन बने रहने की सलाह:** पीड़ितों को अक्सर सामाजिक नरिण्य और व्यक्तिगत शर्मिंदगी के डर से अपने साथ हुए उत्पीड़न की रिपोर्ट न करने की सलाह दी जाती है। यह चुपपी अपराधियों की रक्षा करती है तथा दुर्व्यवहार के चक्र को जारी रखती है।

भारत में बलात्संग की दोषसिद्धि दर इतनी कम क्यों है?

- **कम दोषसिद्धि दर:** रिपोर्ट किये गए बलात्संग की संख्या चर्चित रूप से अधिक (2020 में **कोविड-19 महामारी** के दौरान गरिवाट को छोड़कर) बनी हुई है (वर्ष 2012 से वार्षिक रिपोर्ट में लगातार 30,000 से अधिक मामलों को दर्ज किया जा रहा है)।
- वर्ष 2022 में बलात्संग के 31,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किये गए, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाते हैं। सख्त कानूनों के बावजूद बलात्संग के लिये सज़ा की दर कम (जो **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो** के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 तक 27%-28% के बीच रही है) रही है।
- **संस्थागत मुद्दे:** रशिवतखोरी और दुर्व्यवहार के साथ वधिक तथा कानून प्रवर्तन प्रणालियों में **भ्रष्टाचार** से बलात्संग के मामलों को सुलझाने में बाधा आती है।

- बलात्संग की कई घटनाएँ प्रतेशोध के भय, व्यवस्था में विश्वास की कमी या वधिक प्रक्रिया की अप्रभावीता के कारण रपिर्ट नहीं की जाती हैं।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:** सामाजिक दृष्टिकोण से पीड़ितों पर अनुचित जाँच-पड़ताल का दबाव पड़ता है, जिसके कारण पीड़ित को ही दोषी ठहराया जाता है और उन्हें न्याय पाने से हतोत्साहित किया जाता है।
- सामाजिक अस्वीकृति और कलंक के भय से पीड़ित वधिक प्रक्रिया से अलग रह सकते हैं।
- असंगत कानून प्रवर्तन: भारत में बलात्संग संबंधी कानूनों की प्रभावशीलता असंगत कानून प्रवर्तन के कारण कम हो जाती है, जिससे न्यायसंगत प्रवर्तन में बाधा उत्पन्न होती है।
- BNS, 2023 में पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ यौन अपराधों की पर्याप्त रूप से व्याख्या नहीं की गई है, जो वधिक ढाँचे में महत्वपूर्ण अंतर तथा देश भर में सुसंगत एवं समावेशी कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करने से संबंधित चुनौती को दर्शाता है।
 - भारत में वैवाहिक बलात्संग को अपराध नहीं माना जाता है, जिसका समर्थन विवाह की पवित्रता की पुरानी धारणाओं द्वारा किया जाता है। यह वधिक उदासीनता एक ऐसी प्रवृत्ति को बनाए रखती है जहाँ विवाह में सहमति को अक्सर अनदेखा किया जाता है, जिससे बलात्संग की जटिलता व्यापक होती है।
- अपर्याप्त साक्ष्य संग्रहण और जाँच से मामले कमजोर हो सकते हैं, जिससे दोषसिद्धि सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।
- पुलिस बल में भ्रष्टाचार और अकुशलता से इन मुद्दों को बढ़ावा मलि सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जाँच में अनियमितता हो सकती है।
 - उदाहरण: वर्ष 2020 के हाथरस मामले में पुलिस की गंभीर खामियाँ उजागर हुईं, जिसमें देरी से कार्रवाई और सबूतों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है, जिससे जाँच प्रक्रियाओं में प्रणालीगत मुद्दे उजागर हुए।
- अप्रभावी वधिक सहायता: बलात्संग के कई पीड़ितों को पर्याप्त मनोवैज्ञानिक, वधिक या चिकित्सीय सहायता नहीं मलि पाती है, जिससे न्याय पाने की उनकी क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है।
 - मज़बूत समर्थन प्रणालियों के अभाव में न्याय पाने की प्रक्रिया अधिक कठिन हो सकती है तथा दोषसिद्धि की संभावना कम हो सकती है।
- न्यायिक प्रणाली पर अतभार: भारतीय न्यायिक प्रणाली में मामलों की अधिकता बनी रहती है, जिसके कारण न्याय में देरी होने के साथ न्याय की गुणवत्ता से समझौता हो सकता है।
 - कार्यभार के अत्यधिक बोझ से न्यायालय प्रत्येक मामले पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे समग्र मामले के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
 - न्यायिक कार्यवाही की धीमी गति से न्याय मिलने में देरी होती है। मुकदमों में देरी से सबूत और गवाहों की प्रभावशीलता कम हो सकती है, जिससे सज़ा मिलने की संभावना कम हो जाती है।
 - उदाहरण: नरिभया मामले की त्वरित सुनवाई होने के बावजूद, नषिकर्ष तक पहुँचने में सात वर्ष से अधिक का समय लग गया, जो न्याय व्यवस्था की अक्षमताओं को दर्शाता है।

बलात्संग के बढ़ते मामलों के क्या नहितार्थ हैं?

- **प्रतिबंध और सुरक्षा चिंताएँ:** सामाजिक मानदंडों और सुरक्षा चिंताओं के कारण महिलाओं को पहले से ही अपनी आवाजाही तथा स्वतंत्रता पर काफी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
- बलात्संग के बढ़ते मामलों के कारण उनकी स्वतंत्रता और भी सीमित हो जाती है, क्योंकि हिंसा के भय से उनकी यात्रा करने तथा लोक जीवन में भाग लेने की क्षमता बाधित होती है।
- **कार्यस्थल की गतिशीलता पर प्रभाव:** कार्यस्थलों पर बढ़ते यौन अपराध महिलाओं के करियर में बाधक बन सकते हैं, जिससे कंपनियों में लैंगिक विविधता प्रभावित हो सकती है।
- यदि कार्यस्थल पर सुरक्षा और उत्पीड़न के मुद्दों का समुचित समाधान नहीं किया गया तो कंपनियों को महिला कर्मचारियों की भर्ती करने तथा उन्हें बनाये रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- बलात्संग से बचे लोगों को आघात या कलंक के कारण रोज़गार बनाए रखने या करियर के अवसरों का लाभ उठाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- **आर्थिक परिणाम:** जीवित बचे लोगों के लिये चिकित्सा उपचार और मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता से स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ जाती है।
 - ये खर्च सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों पर दबाव डाल सकते हैं तथा व्यक्तियों और परिवारों की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
 - यौन हिंसा का आर्थिक प्रभाव परिवारों और समुदायों तक वसितारित है, जिससे समग्र उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।
- **विश्वास का क्षरण:** बलात्संग की व्यापकता, वधिप्रवर्तन और न्याय प्रणाली में लोगों के विश्वास को कम कर सकती है, जिससे असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है।
- **लैंगिक रूढ़िवादिता को बल मिलना:** बलात्संग के बढ़ते मामले नकारात्मक लैंगिक रूढ़िवादिता और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को बल देने एवं लैंगिक असमानता को बनाए रखने के साथ महिलाओं के अवसरों को सीमित कर सकते हैं।

आगे की राह

- **वधिक सुधार:** साक्ष्य बताते हैं कि मृत्युदंड जैसी कठोर सज़ा यौन हिंसा को रोकने में सक्षम नहीं हैं। भारत में बलात्संग के मामलों में सज़ा की दर 30% से कम है, इसलिये वास्तविक मुद्दा सज़ा की कठोरता के बजाय न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता और नषिपक्षता में नहिति है।
 - इसके अतिरिक्त संभावित अपराधियों को रोकने के लिये बलात्संग के परिणामों और उससे संबंधित दंड के बारे में जागरूकता अभियान बढ़ाने चाहिये, क्योंकि बहुत से लोग वधिक परिणामों के बारे में जागरूक नहीं हैं।
 - वर्ष 2013 की न्यायमूर्त विरमा समिति की रपिर्ट को लागू करते हुए (जिसमें बलात्संग अपराधों से निपटने के लिये पुलिस

सुधार और वैवाहिक बलात्संग के अपराधीकरण सहित महत्त्वपूर्ण सुधारों की सफ़ारिश की गई थी) अन्य सफ़ारिशों पर भी ध्यान देना चाहिये।

- सामाजिक दृष्टिकोण बदलना: सहमति और सम्मानजनक व्यवहार के बारे में समाज को शिक्षित करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें बलात्संग को नकारना तथा पीड़ित को दोषी ठहराने वाले दृष्टिकोण को चुनौती देना शामिल है। पीड़ितों के लिये सहानुभूति और समर्थन को बढ़ावा देने से सार्वजनिक धारणाओं को बदलने में मदद मिल सकती है।
- मीडिया की ज़िम्मेदारी: मीडिया आउटलेट्स को महिलाओं के प्रदर्शन को लेकर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये। महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने या उनका अपमान करने वाली सामग्री की आलोचना की जानी चाहिये और उसे वनियमि कथिा जाना चाहिये।
- स्वास्थ्य/यौन शिक्षा: स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रम शामिल कथिे जाने चाहिये। इस शिक्षा में सहमति, सम्मान तथा पोर्नोग्राफी के हानिकारक प्रभावों पर ध्यान दथिा जाना शामिल है।
- पीड़ितों के लथिे सहायता: पीड़ितों के लथिे एक सहायक वातावरण बनाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ उन्हें दोषी न ठहराया जाए या उन पर दोष न लगाया जाए। मानसिक स्वास्थ्य संसाधन और वधिकि सहायता प्रदान करने से पीड़ितों को न्याय पाने में मदद मिल सकती है।

नषिकरष

बलात्संग एक गंभीर अपराध है जो व्यक्तियों को नुकसान पहुँचाने के साथ सामाजिक मूल्यों और सुरक्षा को नष्ट करता है। भारत का वधिकि ढाँचा पीड़ितों की सुरक्षा करने पर केंद्रित है लेकिन फरि भी महत्त्वपूर्ण चुनौतथिीं बनी रहती हैं। एक सुरक्षति समाज को बढ़ावा देने के लथिे वधियिों को सखती से लागू करना, लोगों को शिक्षित करना और यौन हसिा के प्रतर्त सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना महत्त्वपूर्ण है। पीड़ितों के लथिे न्याय सुनश्चिति करना तथा अपराधयिों को जवाबदेह ठहराना, सभी महिलाओं के लथिे अधकि न्यायपूर्ण एवं सुरक्षति वातावरण सुनश्चिति करने हेतु महत्त्वपूर्ण है।

????? ???? ?????:

प्रश्न: भारत में बलात्संग के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर इससे संबंधित वधिकि सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजथिे। सज़ा दरों को तार्ककि करने एवं प्रणालीगत मुद्दों से नषिटने के साथ बेहतर उत्तरजीवति हेतु सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के क्रम में आवश्यक रणनीतथिीं को बताइथिे।

और पढ़ें: [भारत में महिलाओं के खलिाफ हसिा](#)

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

?????

Q. हम देश में महिलाओं के खलिाफ यौन हसिा के मामलों में वृद्धि देख रहे हैं। इसके खलिाफ मौजूदा वधिकि प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से नषिटने के लथिे उचति उपाय सुझाइथिे। (2014)